तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्त की तामील में जारी हुए
23.05.2025	पत्रावली आज वास्ते आदेश पेश हुई। अपीलांट वकील उपस्थित। अपीलांट वकील ने अपील पेश की है कि ग्राम गिरधपुरा ग्राम पंचायत बिन्जारी के नामान्तरकरण संख्या 350 फैसल दिनांक 05.09.2012 को भरने से पूर्व पटवारी हल्का ने वास्तविक वारिसान की जांच नहीं की और सरसरी तरीके से रेस्पो0 संख्या 1 से साज करके उसके नाम नामान्तरकरण भरकर चुपचाप ग्राम पंचायत से तस्दीक करवा लिया, जबकि रेस्पो0 संख्या 1 का अपीलांट्स से कोई ताल्लुक नहीं है। अपीलांट्स का सजरा परिवार निम्न प्रकाश पेश है– प्रभू पुत्र जयराम ↓ शकूरी उर्फ सहकोरी (बेवा) — ममता (पुत्री) — रामजीलाल (फोत) ↓ रेखा (बेवा) — रीना (पुत्री) — काली (पुत्री) अपीलांट शकूरी उर्फ सहकारी के पति व ममता के पिता प्रभू की मौजूदगी में प्रभू के पुत्र रामलीलाल का दिनांक 06.02.2012 को देहान्त हो गया, जिसके अपीलांट संख्या 3 लगायत 5 जायज वारिसान है तथा जब दिनांक 03.06.2012 को प्रभू का देहान्त हुआ उसके पश्चात् रेस्पो0 संख्या 1 ने अपीलांट की भूमि को हड़पने की गरज से पटवारी से साज कर अपने आप को मृतक प्रभू का दत्तक पुत्र बताते हुए नामान्तकरण जेरे बहस तस्दीक करवा लिया जबकि न तो कभी मृतक प्रभू ने और न ही अपीलांट शकूरी उर्फ सहकोरी ने रेस्पो० नं० 1 श्रीफूल को कभी गोद लिया और न ही कभी उसको दत्तक पुत्र बनाया लेकिन इसके बावजूद भी रेस्पो० नं० 1 ने राजस्व कर्मचारिया से साज कर अपने नाम गेलत एवं निराधार तरीके से नामान्तकरण जेरे बहस तस्दीक करवा लिया जो निरस्तनीय है। नामान्तकरण जेरे बहस तस्दीक करने से पूर्व पटवारी हल्का ने न तो रेस्पो० नं० 1 से कोई दत्तक पुत्र होने का सबूत मांगा और न ही अपीलांटस से कोई जानकारी की गई बल्कि अपीलांटस का रेस्पो० नं0 1 से किसी प्रकार का कोई ताल्लुक या वास्ता नहीं होते हुए भी पटवारी हल्का से बिना अपीलांटस की सहमति व स्वीकृति के गलत एवं निराधार तरीके से मृतक प्रभू का बिना किसी आधार के दत्तक पुत्र बताकर नामान्तकरण जेरे बहस भरकर तस्दीक करवा लिया जो निरस्तनीय है। दर्ज खाता संख्या 105 के किता 7 रकबा 3.68 है० खाता संख्या 106 के किता 6 रकबा 2.01 है०, खाता संख्या 109 किता 23 के 6.60 है० खाता संख्या 173 के किता 4 रकबा 0.34 है० तथा खाता सं० 108 के रकबा 0.44 है० के संयुक्त खातेदार है एवं खाता संख्या 107 रकबा 0.94 है0 के सम्पूर्ण खातेदार काश्तकार है। जिससे रेस्पो० नं० 1 का कोई ताल्लुक या वास्ता नहीं है लेकिन राजस्व कर्मचारियो ने रेस्पो० नं० 1 की उसके समस्त दस्तावेजो में वल्दियत बाबूलाल होते हुए भी गलत एवं निराधार तथा फर्जी तरीके से मृतक प्रभू का दत्तक पुत्र बताकर नामान्तकरण जेरे बहस तस्दीक कर दिया जो निरस्तनीय है। अपीलांट्स को उक्त नामान्तरकरण की जानकारी काफी देर से हुई थी। अतः दफा 5 लिमिटेशन एक्ट प्रार्थना का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलांट्स की अपील स्वीकार फरमाई जाकर नामान्तरकरण संख्या 350 फैसल दिनांक 05.09.2012 वाके ग्राम गिरधरपुरा का निरस्त फरमाया जाकर रेस्पो0 संख्या 1 का नाम हजफ किया जाकर अपीलांट्स के नाम नामान्तरकरण तस्दीक फरमाये जाने की कृपा करे।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Daulat Singh
Date: 2025.06.03 14:42:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्त की तामील में जारी हुए
	रेस्पो0 संख्या 1 व 2 बावजूद तामील अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 लिमिटेशन एक्ट पर बहस सुनी। प्रार्थना पत्र दफा 5 लिमिटेशन एक्ट स्वीकार किया जाता है। तत्पश्चात् मैंने अपीलांट के विद्वान वकील की बहस सुनी, जिसमें उसने अपील के कथनों का दोहरान किया। मैंने अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तथा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत रिकॉर्ड एवं दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। विवादित नामान्तरकरण संख्या 350 फैसल दिनांक 05.09.212 में श्रीफूल को बाबू का औरसपुत्र बताते हुए उनके नाम नामान्तरकरण संख्या 350 फैसल दिनांक 05.09.2012 खोला गया है। उक्त नामान्तरकरण के लगभग 08 वर्ष बाद की मतदाता सूची दिनांक 20.11.2020 में श्रीफूल के पिता का नाम बाबू अंकित है, जिससे प्रथमदृष्टया उक्त नामान्तरकरण गलत प्रतीत होता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट्स की अपील स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। अतः अपीलांट्स की अपील स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण संख्या 350 निर्णय दिनांक 05.09.2012 ग्राम गिरधरपुरा, ग्राम पंचायत बिन्जारी तहसील चौथ का बरवाड़ा को निरस्त किया जाकर तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट के पति प्रभू पुत्र जयराम के वारिसान की सही जानकारी कर एवं उभयपक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान कर पुनः निर्णय पारित किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 23.05.2025 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। Sd/- **उपखण्ड अधिकारी** **चौथ का बरवाड़ा (स0 मा0)**	न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ★ चौथ का बरवाड़ा ★ सत्यमेव जयते

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.06.03 14:42:50 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner